बजट घोषणा वर्ष 2021–2022

क्र.स.	घोषणा संख्या	घोषणा विवरण
1.	33.0	राजस्थान में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में 10 हजार से अधिक व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु होना चिंता का विषय है। इन दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सके इसके लिए पिछले बजट में तमिलनाडु की तर्ज पर एक रोडमैप तैयार करने की घोषणा की थी। उसी क्रम में– 'जीवन रक्षक योजना' (JRY) का गठन कर गंभीर घायल व्यक्तियों को समय से अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5 हजार रुपये एवं प्रशस्ति पत्र दिये जायेंगे।
2.	**33.02**	राज्य के राजमार्गों एवं मुख्य सड़कों पर ब्अमत speed एवं Over load वाहनों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के लिए PPP उवकम पर Integrated Traffic Management System (ITMS) विकसित किया जायेगा।
3.	33.03	भारी वाहन चालकों के लाइसेंस नवीनीकरण से पूर्व अधिकृत ड्राईविंग ट्रेनिंग संस्थान में स्थापित क्लिनिक से मेडिकल जांच एवं 2 दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग करवायी जायेगी। इसके लिए नियम अधिसूचित कर इसको प्रभावी बनाया जायेगा।
4.	33.04	वर्ष 2020–21 में 40 CHC को Primary Trauma Centre के रूप विकसित किये जाने की घोषणा की गयी थी। इसी क्रम में, आगामी वर्ष में 40 अन्य CHC को चिन्हित कर Primary Trauma Centre की सुविधा विकसित की जायेगी।
5.	33.05	आगामी वर्ष समर्पित सड़क सुरक्षा कोष में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
6.	34.0	प्रदेश में सुमेरपुर–पाली, पोकरण– जैसलमेर व सादुलशहर– श्रीगंगानगर में जिला परिवहन कार्यालय तथा रावतभाटा– चित्तौड़गढ़, जैतारण–पाली व कुचामनसिटी– नागौर में उप जिला परिवहन कार्यालय खोले जायेंगे।
7.	59.0	सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रदेश में परीक्षा के लिए राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जायेगी। साथ ही, प्रदेश के युवा ब्राण्ड एम्बेसडर्स को राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
8.	166.00	वर्ष 2012–13 में ग्रामीण बस सेवा प्रारंभ की थी, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। इस सेवा की लोकप्रियता, आम जनता को मिलने वाली सुविधा को देखते हुए नये वाहनों के साथ ग्रामीण बस सेवा पुनः प्रारंभ करने की घोषणा। इसके अंतर्गत सेवा से वंचित रही लगभग 6 हजार ग्राम पंचायतों को आवश्यकतानुसार परिवहन सेवा से जोड़ा जायेगा।
9.	166.01	करौली व लाडनूं, मकराना–नागौर में आधुनिक रोडवेज बस स्टैण्ड व बानसूर– अलवर में नवीन बस डिपो बनाये जायेंगे।
10.	167.00	सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की तकनीकी जांच की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं मानवीय हस्तक्षेप को नगण्य करने हेतु 5 जिलों–प्रतापगढ़, करौली, जैसलमेर, बूंदी एवं बारां में ऑटोमैटेड फिटनेस जांच केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इन पर 10 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।
11.	256.0	राजस्व अर्जन विभागों में महत्वपूर्ण प्रक्रियाऐं यथा पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी का Refund, विद्युत शुल्क, खनिज जिप्सम के परमिट, परिवहन विभाग के Tax Clearance Certificate एवं Permit आदि का सरलीकरण किया जाकर Online किया जायेगा।
12.	273.0	वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से Transport Amnesty Scheme-2021 लागू किया जाना प्रस्तावित। इस योजना की अवधि 31 मार्च, 2021 तक होगी। इसमें– मोटर वाहनों पर 31 जनवरी, 2021 तक के बकाया कर पर ब्याज एवं शास्ति को

क्र.स.	घोषणा संख्या	घोषणा विवरण
		माफ किया जायेगा। ई–रवन्ना के माध्यम से 31 जनवरी, 2021 तक प्राप्त ओवरलोडिंग के प्रकरणों में देय प्रशमन राशि (Compounding Fee) पर 75 प्रतिशत से लेकर लगभग 95 प्रतिशत तक छूट दी जायेगी। बकाया राशि जमा होने पर, नष्ट हो चुके वाहनों का नाशन तिथि के बाद का कर, ब्याज एवं शास्ति माफ किया जाना प्रस्तावित है।
13.	274.0	मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत वर्तमान प्रशमन राशि (Compounding Fee) को कतिपय Traffic Offences के लिये कम किया जाना प्रस्तावित है। जैसे – ओवरलोडिंग –20 हजार से 5 हजार रुपये। वजन कराने से इंकार – 40 हजार से 10 हजार रुपये। सीट बेल्ट उल्लंघन एवं बिना हेलमेट वाहन चलाने के मामलों में कोई छूट नहीं दी जायेगी। इस प्रकार प्रशमन राशि (Compounding Fee) कम किये जाने का लाभ पूर्व में कारित Traffic Offences के संबंध में भी प्राप्त होगा।
14.	275.0	स्टेज कैरिज के अन्य श्रेणी मार्गों के लिये देय Motor Vehicle Tax की दूरी आधारित (150 कि.मी., 300 कि.मी. तथा 300 कि.मी. से अधिक) प्रतिदिन संचालन की तीन श्रेणियां है। इसे युक्तिसंगत बनाने तथा Transporters को राहत देते हुये न्यूनतम 100 कि.मी. के बाद 50–50 कि.मी. के 8 स्लेब बनाकर प्रोग्रेसिव Motor Vehicle Tax लगाया जाना प्रस्तावित।
15.	276.0	डम्पर श्रेणी के भार वाहनों पर देय मोटर व्हीकल टैक्स को 1800 रू. प्रति टन या इसके भाग के लिए अधिकतम 35000 रू. वार्षिक प्रति वाहन निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।
16.	277.0	32 से अधिक सीट वाली आल राजस्थान संविदा परमिटधारी बसों के लिये देय मासिक Motor Vehicle Tax को 775 रुपये प्रतिसीट प्रतिमाह से घटाकर 700 रुपये (अधिकतम 40 हजार रुपये) किया जाना प्रस्तावित है। एक नई पहल करते हुए इसी श्रेणी की बसों के लिये संभागीय क्षेत्र के परमिट लेने पर पर Motor Vehicle Tax में 50 प्रतिशत छूट भी दिया जाना प्रस्तावित।
17.	278.0	वर्ष 2011–12 एवं 2013–14 के बजट में ग्रामीण एवं अन्य श्रेणी के मार्गों पर नई पंजीकृत स्टेज कैरिज बसों को विशेष पथ कर में शत–प्रतिशत छूट दी थी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नई बसों का संचालन सम्भव हुआ एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध हुई थी। उसी के अनुरूप, इन मार्गों पर नई बस का संचालन करने पर फिर से Motor Vehicle Tax में तीन वर्ष तक शत–प्रतिशत छूट दिये जाने की घोषणा।
18.	279.0	स्टेज कैरिज एवं कॉन्ट्रेक्ट कैरिज की नयी पंजीकृत होने वाली बसों का परमिट प्राप्त करने के लिये पंजीयन तिथि से 15 दिवस तक Motor Vehicle Tax की देय राशि में पूर्ण छूट देना प्रस्तावित।
19.	280.0	वाहन का उपयोग नहीं होने से, पंजीयन प्रमाण पत्र (RC) सरेंडर करने की न्यूनतम अवधि, स्टेज कैरेज के अलावा अन्य वाहनों हेतु एक कलेण्डर माह है। इसे व्यवहारिक बनाते हुए 30 दिवस किया जायेगा। सभी श्रेणी के वाहनों की RC सरेंडर करने की अधिकतम अवधि 90 दिवस निर्धारित की जायेगी।
20.	281.0	कोविड–19 के कारण बसे संचालित नहीं होने से Tour Operators को हानि हुई है। अतः Indian Association of Tour Operators (IATO) और Rajasthan Association of Tour Operators (RATO) से मान्यता प्राप्त Tour Operators द्वारा संचालित वातानुकूलित लग्जरी बसों को 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021 तक Monthly Motor Vehicle Tax में पूर्ण छूट देने की घोषणा।
21.	282.0	सड़क सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। वाहनों की ओवरलोडिंग से जनहानि के साथ वायु प्रदूषण भी होता है। इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिये परिवहन विभाग के उड़नदस्तों (Flying Squads) को Portable Weighing Machine उपलब्ध कराई जायेगी।
22.	283.0	कोविड–19 से प्रभावित मध्यम वर्ग को राहत देने के लिये पुराने वाहनों (Used Vehicles) के स्वामित्व हस्तान्तरण पर देय अतिरिक्त कर (Additional One Time Tax) में दुपहिया

क्र.स.	घोषणा संख्या	घोषणा विवरण
		वाहन एवं कारों के लिये 31 मार्च, 2022 तक 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा।
23.	284.01	2019–20 के बजट में 'इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की थी। राज्य सरकार सभी प्रकार के e-Vehicles के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिये प्रतिबद्ध है। इसके लिये 31 मार्च, 2022 तक e-Vehicles राज्य में Motor Vehicle Tax से मुक्त है। इन वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने हेतु अलग–अलग श्रेणी अनुसार एकमुश्त अनुदान देने की घोषणा– Two Wheelers : बैटरी क्षमतानुसार 5 हजार से 10 हजार रुपये प्रति वाहन Three Wheelers : बैटरी क्षमतानुसार 10 हजार से 20 हजार रुपये प्रति वाहन
24.	355.0	खाजूवाला–बीकानेर व कामां– भरतपुर में उप जिला परिवहन कार्यालय खोले जायेंगे।
25.	426.0	चाकसू–जयपुर में उप जिला परिवहन कार्यालय खोला जायेगा।
26.	445.0	कोविड–19 से प्रभावित बस व्यवसायियों को राहत देने के लिए Contract एवं Stage Carriage बसों को राज्य परिवहन प्राधिकार (State Transport Authority) द्वारा निर्धारित शर्तों एवं शुल्क के अधीन सामान्य व्यापारिक माल के परिवहन की अनुमति देने की घोषणा।